

सं0 सं0 14/ एम 11-2/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

**प्रेषक**

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

**सेवा में**

मेडिकल सुप्रीटेंडेंट,

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल,

नई दिल्ली-110001

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 28.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	धनंजय कुमार पिता—धर्म कुमार ग्राम—पो०—पचुआ थाना—एकमा जिला—सारण	हृदय रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत ।
			कुल ₹ 35,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 35,000/- ( पैंतीस हजार ) रूपया का क्रास चेक सं0.....050842.....  
.....मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2202(14)

पटना, दिनांक 6.12.18

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/18  
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 18  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
 निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक / अधीक्षक  
 सफदरजंग अस्पताल,  
 रिंग रोड, नई दिल्ली-110029

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 28.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारात निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रंधीर महतो पिता—श्रीचन्द्र प्रसाद ग्राम—कोइरी बीघा पो०+थाना—परैया जिला—गया	हृदय रोग	45,000	पैतालीस हजार स्वीकृत ।
			कुल ₹ 45,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 45,000/- ( पैतालीस हजार ) का क्रास चेक सं0.....050842  
 .....मूल रूप में संलग्न है।

- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौंग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-  
 (डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 6.12.18

ज्ञापांक 2200(14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी० मैनेजर स्वा० विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
 ३१.१२.१८

सं0 सं0 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में

अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,  
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 28.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	महेश गिरी पिता—सीतल गिरी ग्राम+पो०+थाना—सिंधिया जिला—समस्तीपुर	कुल्हा रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	पृथ्वी चन्द्र पिता—नन्द लाल साह ग्राम—चंपापुर पो०—रखही थाना—शिकारपुर जिला—प० चम्पारण	हिप रिप्लेसमेंट	1,10,000	एक लाख दस हजार स्वीकृत।
			कुल रु 1,45,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रु 1,45,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) का क्रास चेक सं0.....050840  
.....मूल रूप में संलग्न है।

- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक २१९५(१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 5.12.18

5/12/18  
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/18

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में

अधीक्षक /निदेशक

सदर अस्पताल, समस्तीपुर

पिन कोड—848101

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 28.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम—4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विनोद कुमार सिंह पिता—मथुरा प्रसाद सिंह ग्राम+पो०—मालपुर थाना—पातेपुर जिला—वैशाली	किडनी रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति ।
			कुल रु० 60,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- ( साठ हजार ) का क्रास चेक सं0.....057839

मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 5.12.18

ज्ञापांक 2189(14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/18  
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 18

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,

दिव्य दृष्टि आई सेंटर,

मंगल मार्केट, शेखपुरा,

पटना 800014 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 28.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	संजय कुमार पिता—चन्द्रशेखर राम ग्राम—पुरानी बाजार संगत पो०+थाना—बख्तियारपुर जिला—पटना	नेत्र रोग	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत ।
			कुल ₹ 25,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 25,000/- ( पच्चीस हजार ) मात्र का क्रास चेक सं0.....050838.....  
.....मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2188(14)

पटना, दिनांक 5.12.18

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को/  
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५/३/१८  
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14 / एम 11-2/18

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में

अधीक्षक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 28.11.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	युवराज पिता—सुबोध कुमार ग्राम—जीतु लाल लेन नीयर सबजी मंडी, पो०—बेगमपुर थाना—चौक जिला—पटना सीभीन०—2008 / 014 / 24795	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत ।
			₹ 85,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- ( पचासी हजार ) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ...0.5.08.25...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0—10874584258, खाता धारक का नाम—AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस0 बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं 0.50.835 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 2198(14)

ह0/-

निदेशक प्रमुख  
पटना, दिनांक 6.12.18

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५१/२१८  
निदेशक प्रमुख

स०स०-१४/एम ११-१/१८ -२०८३(५)  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,  
मेडिका मगध अस्पताल,  
राजेन्द्र नगर रोड नं०-२बी०  
पटना- ८०००१६

पटना, दिनांक ०५.१२.१८

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक २८.११.१८ की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के सम्बन्ध अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-४ में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
१	२	३	४	५
१	सुरेश कुमार पिता-जीउत यादव ग्राम-मलाही पोखरा पो०-थाना-मलाही जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
२	वेद प्रकाश शर्मा पिता-रघुवीर प्रसाद शर्मा ग्राम-हूमाद गली नेहरू टोला पो०-बेगमपुर थाना-चौक जिला-पटना	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
३	मो० मनान आलम पिता-रसीद मियां ग्राम-सुन्दर पो०-हरपुरजान थाना-मशरक जिला-सारण	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
४	गफकार मिया पिता-अब्दुल मियॉ ग्राम-पो०-जैथर थाना-तरैया जिला-सारण	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
५	जर्मीदार सिंह पिता-भरत सिंह ग्राम-भिखम टोला पो०-थाना-धनसोई जिला-बक्सर	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।

6	नन्द कुमार सिंह पिता—राजेन्द्र सिंह ग्राम—पो०—सिसई थाना—गौरीया कोठी जिला—सिवान	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	संतोष कुमार श्रीवास्तव पिता—स्व० शिव चन्द्र प्रसाद ग्राम—मदरीचक पो०—थाना—मेहषी जिला—पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
8	मास्टर हरि ओम कुमार पिता—नीतीश कुमार ग्राम—सोना पो०—आदमपुर पीपलावा थाना—नौबतपुर जिला—पटना	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 8,80,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,80,000/- (आठ लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं ०५०८५५ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं 37055550128 खाता धारक का नाम—मेडिका मगध अस्पताल, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—पी०बी०बी०, डाक्टर कालोनी RTGS/IFSC कोड सं ० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छल्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

#### विश्वासभाजन

₹ ०/-

( डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

#### ज्ञापांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं ०..... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹ ०/-

निदेशक प्रमुख

#### ज्ञापांक २१८३ (१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों/आई०बी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५१८३/८  
निदेशक प्रमुख